कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

यह पाया गया है कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने एवं समान स्तर के एकाधिक शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध मे समस्त जिलों में एकरूपता का अभाव है।

अतः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू एवं सुव्यस्थित संचालन हेतु संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. किसी भी उप्रावि/प्रावि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
2. व.अ. का पद रिक्त/स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा ।
4. उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्यथा स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर /ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवावधि के आधार पर होगा।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांकः शिविरा/प्रार/शैक्षिक/एबी/विद्या.व्यव./2017-18/ दिनांकः 20/01/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- उप निदेशक, प्रा.शि. समस्त ।

2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. समस्त ।

3- कार्यालय प्रति ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner